

प्रेषक,
बाबुराम,
अनु सचिव,
उपप्रो शासन ।
सेवा में,
सचिव,
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद,
शिक्षा केंद्र, 2, समुदाय केंद्र,
प्रोति विहार, नई दिल्ली ।

शिक्षा (7) अनुभाग

संख्यांक : दिनांक : 7 अक्टूबर, 2006

विषय: बी०आर०पी० मॉडल स्कूल निकट हरप्रसाद मन्दिर, बघावू को सी०पी०एस०ई०, नई दिल्ली से सम्यक्ता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिया जाना ।

महोदय,

उपरोक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे यह कहने का निवेदन हुआ है कि उक्त संदर्भित विद्यालय को सी०पी०एस०ई०, नई दिल्ली से सम्यक्ता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दे दिए जाने में इस राज्य सरकार को निम्नलिखित प्रतिबंधों के अधीन आपत्ति नहीं है :-

1. विद्यालय की पंजीकृत सीसट्टी का समय-समय पर नवीनीकरण कक्षा जायेगा।
2. विद्यालय की प्रवन्ध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित सदस्य होगा।
3. विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/बान्जहि के मेधावी बच्चों के लिए सुरक्षित रहेंगे और उनसे उपप्रो माध्यमिक शिक्षा परिषद/बैज्ञिक शिक्षा परिषद द्वारा संबन्धित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा।
4. संस्था द्वारा राज्य सरकार से कितने अनुदान की मांग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की सम्यक्ता सेक्टर बोर्ड ऑफ सेक्रेटरी एनक्वैरान, नई दिल्ली/कौन्सिल ऑफ दि इण्डियन स्कूल सर्टीफिकेट इन्फार्मेशन, नई दिल्ली से प्राप्त होती है, तो उस परीक्षा परिषदों से सम्यक्ता प्राप्त होने की तिथि से प्राप्त अनुदान स्वतः सनाप हो जायेगा।

क्रमांक:.....2

Scanned by CamScanner

:: 2 ::

5. संस्था के शैक्षिक एवं शिस्तगत कर्मचारियों का राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों की अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्तों नहीं दिये जायेंगे।
 6. कर्मचारियों की सेवा शर्तें बनायी जायेंगी और उन्हें सहायता प्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों को अनुमन्य सेवा नियुक्ति का लाभ उपलब्ध कराये जायेंगे।
 7. राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगे, संस्था उनका पालन करेगी।
 8. विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित प्रपत्र पंजीकाओं में रखा जायेगा।
 9. उक्त शर्तों में राज्य सरकार के पूर्वनिर्गमित के बिना कोई परिवर्तन/संशोधन/परिवर्तन नहीं किया जायेगा।
- 2- उक्त प्रतिबंधों का पालन करना संस्था के लिए अनिवार्य होगा और यदि किसी समय यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिबंधों का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी प्रकार की छूट या दिव्यता सरदी जाती है तो राज्य सरकार द्वारा प्रत्यक्ष अनापत्ति प्रमाण पत्र वापस ले लिया जायेगा।

भवदीय,

(बाबुराम)
अनु सचिव

पुसं०-4558/15-7-2006 तदुपनिर्दिष्ट
प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश सखनक।
2. मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, बरेली।
3. जिला विद्यालय निरीक्षक, बरेली।
4. निरीक्षक, आगल भारतीय विद्यालय, उपप्रो सखनक।
5. प्रवन्धक, बी०आर०पी० मॉडल स्कूल, निकट हरप्रसाद मंदिर बघावू।
6. गार्ड फुक।

आज्ञा से,
(बाबुराम)
अनु सचिव